| | |
|---|---|
| 30-8-24 | पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट उपस्थित<br>अपील अपीलान्ट की स्वीकार कि जाती है। विस्तृत<br>आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली<br>कि गई पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम<br>हो। |

# उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
## पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

अपील पत्र संख्या ::– 3 / 2023

1. नानीबाई पत्नी बालूलाल जी गुर्जर निवासी माण्डना तह0 बेगूँ
2. धीसीबाई पुत्री बालुलाल जी गुर्जर निवासी माण्डना तह0 बेगूँ

अपीलान्ट

बनाम

1. शंकरलाल पिता बालूलाल जी गुर्जर निवासी माण्डना तह0 बेगूँ
2. शांतिलाल पिता बालूलाल जी गुर्जर निवासी माण्डना तह0 बेगूँ
3. अनोपबाई पिता बालूलाल जी गुर्जर निवासी माण्डना तह0 बेगूँ
4. सरपंच ग्राम पंचायत सामरियाकला तह0 बेगूँ जिला चितौडगढ़

रेस्पोडेन्ट

उपस्थित ::– श्री विजय प्रकाश शर्मा
अधिवक्ता अपीलान्ट्स

आदेश दिनांक ::– 30.08.2024

आदेश अपील नामान्तरण संख्या 137 मौजा माण्डना पटवार मण्डल सुवाणिया

अपील अपीलान्ट्स की इस प्रकार से है कि ग्राम माण्डना पटवार मण्उल सुवाणिया तह0 बेगूँ द्वारा मृतक बालू पिता हजारी गुर्जर की मृत्यु के पश्चात विरासत से नामान्तरण संख्या 137 खोला गया उसमें मृतक बालू के सभी विधिक वारिसान का नाम दर्ज नहीं किये जाने से वह निरस्त किये जाने योग्य है।

बालू
।

| शंकरलाल | शांतिलाल | अनोपबाई | धीसी | नानीबाई |
|---|---|---|---|---|
| पुत्र रेस्पो.1 | पुत्र रेस्पो.2 | पुत्री रेस्पो.3 | पुत्री अपी. | पत्नी अपी. |

यह कि अपीलान्टगण मृतक बालू की पुत्री एवं पत्नी होकर अपने पिता / पति बालू जी के साथ ही निवास करती थी तथा बालू की मृत्यु के समय भी अपीलान्टगण अपने पिता / पति के पास ही थी लेकिन रेस्पोडेन्टगण सभी ने आपसी षडयन्त्र कर पटवारी हल्का को पूर्ण जानकारी नहीं देकर अपीलान्टगण पुत्री , पत्नी का नाम छुपाते हुए उक्त नामान्तरण संख्या 137 निर्णित करवाया है जो प्रारम्भ से ही शुन्य होकर निष्प्रभावी है जिसे निरस्त किये जाने हेतु यह अपील प्रस्तुत है।

यह कि अपीलान्ट मृतक बालू की पत्नी व पुत्री है जिनका अपनी पैत्रिक सम्पति में (सहदायिकी सम्पति) में जन्म से अधिकार प्राप्त है इसलिए मृतक बालू का विरासत के नामान्तरण में अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं किये जाने में पटवारी हल्का द्वारा भारी भूल की है जिससे नामान्तरण संख्या 137 खारिज किये जाने योग्य है।

यह कि अपीलान्ट संख्या 2 मृतक बालू की मृत्यु के पश्चात अपने ससुराल आने जाने लग गयी व दिनांक 28.02.2023 को रेस्पोडेन्टगण ने अपीलाण्ट को मृतक बालू की पेत्रिक भूमि के उपयोग उपभोग करने से मना कर देने पर व रेस्पोडेन्ट द्वारा कृषि आराजयीात में अपीलान्ट का नाम न होन की जानकारी देने पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 28.02.2023 को नामान्तरण संख्या 137 की नकल लेने पर भूमि में नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी आने से यह अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। मृतक बालू की अपीलान्ट पुत्री एवं पत्नी होकर विरासत से पैत्रिक सम्पति की अधिकारी होने से नामान्तरण अपने नाम करवाने की भी अधिकारिणी है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम माण्डना पटवार मण्डल सुवाणिया तह0 बेगूँ के नामान्तरण संख्या 137 को निरस्त फरमाया जाकर मृतक बालू की विरासत में रेस्पोडेन्टगण के साथ साथ अपीलान्टगण पुत्री व पत्नी का नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

अपील पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच अपील पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 व 4 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मुरलीधर शर्मा उपस्थित आए जिन्होने अपील पत्र पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। इस प्रकार प्रकरण में रेस्पो. सं. 2 व 4 के उपस्थित नहीं आने व रेस्पो. संख्या 1 व 3 को कोई आपत्ति नहीं होने से अपील पत्र पर बहस अधिवक्ता अपीलान्ट्स की सुनी गई जिन्होने अपनी बहस को अपीलपत्र के अनुसार करते हुए अपीलान्ट का नाम मृतक बालू की कृषि आराजी में रेस्पोडेन्ट के साथ दर्ज कराये जाने हेतु नामान्तरण खोले जाने का निवेदन किया तथा इस नामान्तरण को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हमारे द्वारा बहस अधिवक्ता अपीलान्ट की सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया , आधार कार्ड जो कि नानीबाई अर्धागिनी बालू लाल के नाम पर बना हुआ है। इसी प्रकार परिवार राशन कार्ड भी नानीबाई गुर्जर पति बालू जी के नाम बना होकर युनिट 1 दर्ज है। आधार कार्ड घीसीबाई गुर्जर पति कालू लाल गुर्जर के नाम का प्रस्तुत किया है। नकल नामान्तरण संख्या 137 मौजा माण्डना निर्णित दिनांक 17.09.1987 का अवलोकन किया गया, उक्त नामान्तरण विरासत हजारी के मृत्यु पर खोला गया है जिसमें पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट दर्ज की है कि महोदय जी खातेदार हजारी फोत उसके वारिस उसके जायन्दा लडके बालू रूगनाथ हीरा है बालू भी फोत उसके लडके शंकर ,शान्ती लाल पिता बालू के नाम खाता परिवर्तन करने हेतु नामान्तरण जारी कर वास्ते जांच पेश है। पटवारी इस नामान्तरण पर हजारी के वारिसान बालू फोत रूगनाथ हीरा के नाम का सजरा बनाते हुए बालू के पुत्र शंकर व शांतिलाल का नाम भी सजरे में अंकित किया है तथा इस नामान्तरण को अधिनस्त न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत सामरिया द्वारा इस निर्णय के साथ निर्णित किया कि आज दिनांक 17.09.87 को यह नामान्तरकरण कोरम के समक्ष पेश हुआ खातेदार हजारी फोत हो चुका विरासत से श्री रूगनाथ हीरा पिता हजारी व शंकर शांतिलाल पिता बालू के नाम खाता परिवर्तन करने की स्वीकृती दर्ज करने की दी जाती है।।

इस प्रकार सभी प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तरण संख्या 131 जो कि हजारी के फोत होने से खोला गया था लेकिन उक्त नामान्तरण खोलते समय हजारी के पुत्र बालू के फोत होने की जानकारी भी पटवारी को होने पर बालू के वारिसान के सम्बन्ध में बिना कोई जॉच किये यह नामान्तरण बालू के दो पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम पर खोल गया है, जो कि निरस्त किया जाने योग्य है, क्यो कि मृतक खातेदार के परिवार के सभी वारिसान का नाम विरासत की जॉच करते हुए नामान्तरण खोला जाना चाहिए था। अपील अपीलान्टगण की स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलान्ट्स की स्वीकार की जाती है, नामान्तरण संख्या 137 ग्राम माण्डना पटवार हल्का सुवाणिया निर्णित द्वारा सरंपच ग्राम पंचायत सामरिया निर्णय दिनांक 17.09.1987 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बेगूँ को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार मृतक खातेदार बालू पिता हजारी के वारिसान के सम्बन्ध में जॉच करते हुए रेस्पोडेन्ट्स के साथ अपीलान्ट्स के नाम पर पुनः नामान्तरण खोलकर प्रमाणित करें। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
बेगूँ जिला चितौडगढ़

क्रमांक / सरिश्ता / 2024 / दिनांक

अपील संख्या 3/2023 व अनवान नानीबाई बनाम शंकरलाल अपील नामान्तरण संख्या 137 में इस न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय दिनांक 30.08.2024 की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
बेगूँ जिला चितौडगढ़